

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक :- स्था. (रा. न्या. मे.) सं. प. अ. / 101 / 2021

दिनांक 12.07.2021

श्रीमती मीनाक्षी मीना (RJ1000), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03 (दक्षिण), कोटा को दिनांक 27.07.2021 से 27.08.2021 तक 32 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 28.08.2021 से 30.08.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान (RJ0915), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-05, कोटा (उत्तर) को श्रीमती मीनाक्षी मीना (RJ1000) के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03 (दक्षिण), कोटा के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादन किये जाने हेतु एनद्राग पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाने हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निम्नारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निम्नारण किया जावे।
2. श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान (RJ0915), जिन्होंने अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03 (दक्षिण), कोटा के अनिर्दिष्ट कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निम्नारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसरण क्रम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था. वी. २(4)/163/2015/4447

दिनांक 12.07.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शामन मन्त्रि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 2291 दिनांक 30.06.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती मीनाक्षी मीना (RJ1000), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03 (दक्षिण), कोटा।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03 (दक्षिण), कोटा।
5. श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान (RJ0915), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-05, कोटा (उत्तर)।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-05, कोटा (उत्तर)।
7. गवर्धिन कोषालय।
8. संबन्धित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एम्. (स्था.) शाखा, रा. उ. न्या., जोधपुर।

महायक रजिस्ट्रार